मध्यप्रदेश विधान सभा
(चतुर्दश विधान सभा)

शासकीय आश्वासनों संबंधी समिति

का

पंचदश प्रतिवेदन

(फरवरी-मार्च, 2004 सत्र से संबंधित)

(यह प्रतिवेदन 18 मार्च, 2016 को सदन में प्रस्तुत.)

विषय सूची

क्रमांक (1)	विषय (2)	पृष्ठ संख्या (3)
1.	**समिति का गठन**	एक
2.	**प्रस्तावना**	दो
3.	**प्रतिवेदन में सम्मिलित विभागवार आश्वासनों की सूची**	तीन
4.	**विभागों के नाम:-**	
	(1) स्कूल शिक्षा	1
	(2) लोक निर्माण	2
	(3) गृह(पुलिस)	4
	(4) लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	6
	(5) नगरीय प्रशासन एवं विकास	8
	(6) राजस्व	10
	(7) पंचायत एवं ग्रामीण विकास	13
	(8) ऊर्जा	15
	(9) सहकारिता	16
	(10) जल संसाधन	20
	(11) उच्च शिक्षा	21
	(12) वाणिज्यिक कर	22
	(13) महिला एवं बाल विकास	24
	(14) खनिज साधन	25
5.	**(i) परिशिष्ट - 1 (विशिष्ट टिप्पणी/अनुशंसा)**	26
	(ii) परिशिष्ट - 2 (जांच के अनिर्णीत प्रकरण)	27
	(iii) परिशिष्ट - 3 (फरवरी-मार्च, 2004 सत्र के पूर्व प्रतिवेदनों में सम्मिलित आश्वासनों की सूची)	28

शासकीय आश्वासनों संबंधी समिति का गठन
(वर्ष 2015-16)

सभापति

1. श्री राजेन्द्र पाण्डेय.

सदस्यगण

2. श्री बालकृष्ण पाटीदार
3. श्री लोकेन्द्र सिंह तोमर
4. श्री सूबेदार सिंह रजौधा
5. श्री इन्दर सिंह परमार
6. श्री के.के.श्रीवास्तव
7. चौधरी मुकेश सिंह चतुर्वेदी
8. श्री चन्द्रशेखर देशमुख
9. श्री सुखेन्द्र सिंह बन्ना
10. श्री हरदीप सिंह डंग
11. श्री नीलेश अवस्थी.

विधान सभा सचिवालय

1.	श्री भगवानदेव ईसरानी	. .	प्रमुख सचिव
2.	श्री ए.पी.सिंह	. .	सचिव
3.	श्री जी.के.राजपाल	. .	अपर सचिव
4.	श्री बी.डी.सिंह	. .	उप सचिव
5.	श्री आर.के.गुप्ता	. .	अवर सचिव
6.	श्री सुरेश कुमार त्रिवेदी	. .	अनुभाग अधिकारी
7.	श्री शिवप्रसाद बुन्देला	. .	अनुभाग अधिकारी.

प्रस्तावना

मैं, शासकीय आश्वासनों सम्बन्धी समिति का सभापति, समिति की ओर से प्राधिकृत होकर समिति का पंचदश प्रतिवेदन(चतुर्दश विधान सभा) सदन के समक्ष प्रस्तुत करता हूं।

2. यह समिति मध्यप्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 224(1) के अन्तर्गत 12 अगस्त 2015 को गठित की गई थी।

3. इस प्रतिवेदन में फरवरी-मार्च, 2004 सत्र में विधान सभा में मा.मंत्रिगणों द्वारा सदन में दिये गये आश्वासनों को सम्मिलित किया गया है। वर्णित सत्र में मा.मंत्रियों द्वारा शासन के विभिन्न विभागों से संबंधित कुल 86 आश्वासन, जिनमें से 51 आश्वासनों का निराकरण द्वादश विधान सभा के विभिन्न प्रतिवेदनों में परिशिष्ट - 3 की विवरण सूची के अनुसार किया गया है। इस प्रकार शेष 35 आश्वासनों पर शासन द्वारा की गई कार्यवाही का परीक्षण कर विभागीय अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव का मौखिक साक्ष्य लिया गया तथा विचारोपरान्त आश्वासनों को इस पंचदश प्रतिवेदन में शामिल करने का निर्णय लिया गया।

4. आश्वासनों की अभिपूर्ति हेतु मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन एवं संसदीय कार्य विभाग द्वारा जारी परिपत्रों का विभागों द्वारा पालन नहीं किये जाने से कई विभागीय आश्वासनों की अभिपूर्ति लगभग 12 वर्ष से अधिक की समयावधि के बाद भी नहीं हो पाई है। ***समिति ने परीक्षण के दौरान यह पाया कि विभागीय जांच/आर्थिक अनियमितताएं एवं भ्रष्टाचरण से संबंधित आश्वासनों पर कतिपय विभागों द्वारा समिति की ओर से बारम्बार पत्राचार किये जाने के बावजूद चाही गई अतिरिक्त/अद्यतन स्थिति की जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई है। इस वजह से कुछ प्रकरण (परिशिष्ट - 2) अनिर्णीत रहे। निश्चित रूप से यह चिंता का विषय है।*** संसदीय कार्य नियमावली के अध्याय 8 (आश्वासन) की कण्डिका 8.5(4) अनुसार आश्वासनों के संबंध में आश्वासन पंजी का विभाग द्वारा न तो संधारण किया जा रहा है और न ही पंजी मंत्री जी के अवलोकनार्थ भेजी जा रही है. समिति इस पर अपनी अप्रसन्नता व्यक्त करती है तथा अपेक्षा करती है कि संसदीय कार्य नियमावली का पालन किया जाकर लंबित आश्वासनों को सर्वोच्च प्राथमिकता देकर उनका समय सीमा में निराकरण किया जायेगा।

5. समिति की बैठक दिनांक 17 मार्च, 2016 में इस प्रतिवेदन के प्रारूप पर विचार कर अनुमोदित किया गया.

6. समिति विधान सभा सचिवालय के प्रमुख सचिव/सचिव एवं संबंधित अधिकारियों/कर्मचारियों, विभागीय अपर मुख्य सचिवों, प्रमुख सचिवों एवं सचिवों तथा जिन्होंने समिति के कार्यो में सहयोग प्रदान किया, उन सभी के प्रति आभार व्यक्त करती है।

राजेन्द्र पाण्डेय
सभापति
शासकीय आश्वासनों संबंधी समिति

स्थान :- भोपाल
दिनाक:- 17 मार्च, 2016

प्रतिवेदन में सम्मिलित विभागवार आश्वासनों की सूची

क्र.	विभाग का नाम	आश्वासन क्रमांक
1.	स्कूल शिक्षा	02, 03, 07, 09, 10
2.	लोक निर्माण	15
3.	गृह(पुलिस)	26, 28
4.	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	30, 31
5.	नगरीय प्रशासन एवं विकास	33, 36, 37, 38, 39
6.	राजस्व	40, 41, 42, 44, 45, 47, 71
7.	पंचायत एवं ग्रामीण विकास	50, 53
8.	ऊर्जा	58
9.	सहकारिता	60, 64, 65
10.	जल	66, 67
11.	उच्च शिक्षा	76
12.	वाणिज्यिक कर	78
13.	महिला एवं बाल विकास	80, 81
14.	खनिज साधन	86

फरवरी-मार्च, 2004 सत्र
स्कूल शिक्षा विभाग

स.क्र.	आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या, प्रश्न क्रमांक, दिनांक	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	समिति का अभिमत
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**	**(7)**
1.	02	ता.प्र.सं.09 (क्र.01) दि. 25.02.2004	रीवा जिले के शा.हाई स्कूल डभोरा और शा. कन्या हाई स्कूल डभोरा को परीक्षा केन्द्र बनाया जाना।	आप जिस परीक्षा केन्द्र की मांग कर रहे हैं, वहां नकल नहीं हुई है तो वह परीक्षा केन्द्र हो जाएगा।	शा.कन्या उ.मा. विद्यालय डभोरा में सामूहिक नकल के प्रकरण नहीं थे, इस कारण आश्वासन के परिपालन में वर्ष 2004 की परीक्षा में इस संस्था को परीक्षा केन्द्र बनाया गया। **विभागीय पत्र क्रमांक –** **619/379/203/2009, दिनांक 15.04.2009**	कोई टिप्पणी नहीं.
2.	03	अता.प्र.सं.05 (क्र.56) दि. 25.02.2004	रीवा जिले में अयोग्य व्यक्तियों की नियम विरूद्ध जिला शिक्षा अधिकारी के पद पर की गई पदस्थापना के विरूद्ध कार्यवाही।	परीक्षण कर नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।	शासन द्वारा रीवा जिले में जिला शिक्षा अधिकारी के पद पर नवीन पदस्थापना दिनांक 22.11.03 को कर दी गयी थी तथा श्री हर्षलाल शुक्ला को उनके मूल पद पर वापस कर दिया गया है। **विभागीय पत्र क्रमांक –** **एफ 30-06/2004/20-1, दिनांक 10.08.2007**	कोई टिप्पणी नहीं.
3.	07	ता.प्र.सं.12 (क्र.115) दि. 04.03.2004	रीवा जिले में वर्ष 1997-98 से राजीव गांधी प्राथमिक शिक्षा मिशन के जिला समन्वयक पद पर श्री शुक्ला द्वारा पद के दुरूपयोग की जांच।	1. जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्यवाही करेंगे। 2. प्रदेश स्तर के अधिकारी से जांच कराएंगे। 3. हम ठीक से हर समस्या की जड़ में जाएंगे और संपूर्ण समाधान करेंगे।	संभागायुक्त, रीवा द्वारा जांच पूर्ण कर ली गई है। दोषी पाये गये अधिकारियों के विरूद्ध विभागीय जांच की कार्यवाही प्रचलित है। **विभागीय पत्र क्रमांक –** **एफ 30-22/20-2/2004, दिनांक 20.06.2006** समिति द्वारा सतत् परीक्षण उपरांत अंत में इस सचिवालय के पत्र क्र. 12905/वि.स./आ./2007, दिनांक 22.05.2007 से लगातार विभाग से अद्यतन जानकारी चाही गई थी। लगातार पत्राचार के बावजूद विभागीय जांच की अद्यतन स्थिति की जानकारी अप्राप्त है।	परिशिष्ट-1 के अनुसार

;

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
4.	09	अता.प्र.सं.27 (क्र.507) दि. 04.03.2004	जिला शिवपुरी अंतर्गत राजीव गांधी शिक्षा मिशन द्वारा खरीदी में अनियमितता की जांच।	कलेक्टर, से जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर कार्यवाही की जायेगी।	1. जांच प्रतिवेदन के आधार पर तत्कालीन जिला परियोजना समन्वयक श्री नन्हें सिंह चौहान को आयुक्त, लोक शिक्षण तथा तत्कालीन सहायक परियोजना समन्वयक, वित्त को संचालक कोष एवं लेखा द्वारा निलंबित कर विभागीय जांच संस्थित की गई। अद्यतन स्थिति में तत्कालीन जिला परियोजना समन्वयक की मृत्यु हो चुकी है। सहायक परियोजना समन्वयक, वित्त की जांच प्रतिवेदन हेतु कोष एवं लेखा को कार्यालयीन पत्र क्रमांक 3496 दिनांक 02.05.2011 को लिखा गया था। प्रतिवेदन आज दिनांक तक अप्राप्त है। पुनः संचालक कोष एवं लेखा को कार्यालयीन पत्र क्रमांक 10304 दिनांक 12.11.2013 द्वारा प्रकरण की अद्यतन स्थिति से अवगत कराने हेतु लिखा गया है। 2. प्रकरण में संचालनालय कोष एवं लेखा, म.प्र. द्वारा अवगत कराया गया है कि सी.जे.एम. कोर्ट शिवपुरी में प्रकरण क्र. 260/07 के रूप में प्रचलित है तथा यह भी लेख किया गया है कि विभागीय जांच मामले में शासन स्तर से तथा न्यायालयीन प्रकरण न्यायालय का निर्णय होने के तदुपरांत वस्तुस्थिति से अवगत कराया जाएगा। **विभागीय पत्र क्रमांक –** **1749/3157/2014/20-2, दिनांक 28.10.2014**	परिशिष्ट-1 के अनुसार
5.	10	अता.प्र.सं.11 (क्र.215) दि. 04.03.2004	बालाघाट जिले की शास. उच्चतर माध्यमिक शाला साडरा के शिक्षकों को वेतन का भुगतान किया जाना।	यथाशीघ्र भुगतान करने की कार्यवाही की जा रही है।	पात्र शिक्षकों को वेतन भुगतान किया जा चुका है। **विभागीय पत्र क्रमांक –** **एफ-30-64/20-3/2009, दिनांक 26.06.2009**	कोई टिप्पणी नहीं.

फरवरी-मार्च, 2004 सत्र
लोक निर्माण विभाग

स.क्र.	आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या, प्रश्न क्रमांक, दिनांक	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	समिति का अभिमत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
6.	15	ता.प्र.सं.01 (क्र.191) दि. 27.02.2004	पचौर से माचलपुर मार्ग निर्माण में हुई अनियमितता की जांच एवं दोषी के विरूद्ध कार्रवाई की जाना।	मैं सदस्य को आश्वस्त करना चाहूँगा कि मैं ई.एन.सी. के माध्यम से इसकी जांच करा लूंगा।	1. प्रकरण में निहित कार्यपालन यंत्री, अनु.अधि. एवं उपयंत्रियों के विरूद्ध आरोप पत्रादि विभागीय समसंख्यक ज्ञाप दिनांक 28.07.2005 द्वारा जारी किये गये। 2. अपचारी अधिकारियों से प्राप्त प्रतिवाद उत्तरों पर प्रमुख अभियंता से परीक्षण टीप/अभिमत प्राप्त किये जाने के फलस्वरूप अपचारी अधिकारी दोषी नहीं पाये गये, परंतु मात्र प्रक्रियात्मक त्रुटि परिलक्षित होने से संबंधित अपचारी अधिकारियों को भविष्य के लिये सचेत करते हुये विभागीय आदेश दिनांक 13.11.2006 द्वारा प्रचलित प्रकरण समाप्त किया गया। **विभागीय पत्र क्रमांक – 3678/796/2012/स्था/19, दिनांक 03.08.2012**	कोई टिप्पणी नहीं.

फरवरी-मार्च, 2004 सत्र
गृह(पुलिस) विभाग

स.क्र.	आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या, प्रश्न क्रमांक, दिनांक	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	समिति का अभिमत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
7.	26	ता.प्र.सं.06 (क्र.746) दि. 04.03.2004	मंदसौर के सहकारी बाजार में हुये गेहूँ घोटाला एवं गबन की जांच करायी जाना।	प्रकरण में उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर अतिशीघ्र वैधानिक कार्यवाही की जावेगी।	प्रकरण में राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो ने अप.क्र. 4/03 धारा 420, 409, 467, 468, 120(बी) भा.दं.वि. एवं 13(1) (डी)/13(दो) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत 18 आरोपियों के विरूद्ध पंजीबद्ध कर, विवेचना उपरांत अभियोग पत्र अपर सत्र न्यायालय एवं विशेष न्यायालय मंदसौर में दिनांक 02.02.05 को प्रस्तुत किया । न्यायालय द्वारा दि. 20.05.06 को आरोपीगण के विरूद्ध आरोप अधिरोपित कर 58 साक्ष्यों में से 6 के कथन लिये जा चुके हैं। अभियोजन साक्ष्य हेतु आगामी पेशी दि. 08.01.08 को नियत है। **विभागीय पत्र क्रमांक – 9734/2007/बी-1/दो, दिनांक 01.12.2007**	परिशिष्ट-1 के अनुसार

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
8.	28	अता.प्र.सं.02 (क्र.55) दि. 04.03.2004	रीवा जिले में जनवरी, 2000 से 15 अक्टूबर, 2003 तक की अवधि में रिवाल्वर/पिस्टल के नियम विरूद्ध दिये गये लायसेंस निरस्त किया जाना ।	उनके संबंध में पुलिस अधीक्षक रीवा से प्रतिवेदन प्राप्त होने पर उनके शस्त्र लायसेंस निरस्त करने की कार्यवाही की जायेगी । जांच में दोषी अधिकारियों के विरूद्ध गुणदोष के आधार पर कार्यवाही की जायेगी ।	(1) डॉ. आई.एम.पी. वर्मा, पूर्व विधायक, विधानसभा क्षेत्र, महूगंज, तनय श्री रामगरीब वर्मा, ग्राम तेदुन, थाना हनुमना, जिला रीवा को जारी लायसेंस क्रमांक 51/III/पीएस/हनुमना (0.32 बोर रिवाल्वर नं. ई.ओ. 306) कार्यालयीन आदेश क्रमांक 504/आ.ला./09 रीवा दिनांक 07.05.09 के द्वारा निरस्त किया जा चुका है । (2) श्री प्रदीप सोहगौरा आत्मज श्री गंगा प्रसाद सोहगौरा निवासी कपसा, थाना चोरहटा, जिला रीवा को जारी लायसेंस क्रमांक 1528/III/पी.एस./चोरहटा/03 (0.32 बोर रिवाल्वर नं. 112517) कार्यालयीन आदेश क्रमांक 505/09 रीवा दिनांक 07.05.09 के द्वारा निरस्त किया जा चुका है । **विभागीय पत्र क्रमांक –** **7075/5886/2011/बी-1/दो, दिनांक 08.12.2011** समिति द्वारा सतत् परीक्षण उपरांत अंत में इस सचिवालय के पत्र क्रमांक 15180/वि.स./आश्वा/2013, दिनांक 08.07.2013 से लगातार विभाग से अद्यतन जानकारी चाही गई थी । लगातार पत्राचार के बावजूद अद्यतन स्थिति की जानकारी अप्राप्त है ।	परिशिष्ट - 1 के अनुसार.

फरवरी-मार्च, 2004 सत्र
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

स.क्र.	आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या, प्रश्न क्रमांक, दिनांक	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	समिति का अभिमत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
9.	30	अता.प्र.सं.21 (क्र.454) दि. 01.03.2004	स्टेट फार्मेसी कौंसिल भोपाल में वर्ष 1983 में रजिस्ट्रार के जाली हस्ताक्षर से पंजीयन किये जाने के संबंध में जांच करा कर दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही।	जांच उपरांत नियमानुसार शीघ्र कार्यवाही की जावेगी।	प्रकरण के संबंध में कौसिंल की बैठक में दि.14.02.07 को निर्णय लिया गया कि प्रकरण को कौंसिल की आगामी बैठक में रखा जावे एवं प्रकरण से संबंधित आवेदक श्री अभय कुमार कुलश्रेष्ठ को बैठक तिथि में बुलाया जावे। लेकिन कौंसिल की आगामी बैठक दिनांक 26.04.07 स्थगित हो जाने से प्रकरण का निराकरण नहीं हो सका। किंतु श्री कुलश्रेष्ठ निर्धारित निधि 26.04.07 को उपस्थित हुये। अध्यक्ष महोदय द्वारा श्री कुलश्रेष्ठ की व्यक्तिगत सुनवाई की गई एवं श्री कुलश्रेष्ठ द्वारा अभ्यावेदन भी अध्यक्ष महोदय को प्रस्तुत किया गया। इस प्रकार प्रकरण को कौंसिल की कार्यकारिणी की आगामी बैठक दिनांक 04.05.07 के समक्ष प्रस्तुत किया गया। कौंसिल द्वारा अभ्यावेदन एवं प्रकरण की वस्तुस्थिति के अवलोकन पश्चात सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि श्री कुलश्रेष्ठ द्वारा कोई गंभीर त्रुटिकारित नहीं की गई है जिससे फार्मेसी एक्ट का उल्लंघन होता हो। **विभागीय पत्र क्रमांक – 411/6962/08/सत्रह/मेडि-1, दिनांक 13.02.2010**	कोई टिप्पणी नहीं.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
10.	31	अता.प्र.सं.25 (क्र.464) दि. 01.03.2004	स्वास्थ्य सेवाओं की आडिट दल द्वारा की गई शिकायत व वित्त विभाग के क्रय पर पूर्ण प्रतिबंध जिला में की गई खरीददारी के संबंधित दोषी अधिकारी-कर्मचारी पर कार्यवाही ।	जांच हेतु आदेशित किया गया है पूर्ण जांच प्रतिवेदन प्राप्त होते ही प्रकरण में योग्य कार्यवाही की जावेगी ।	उत्तर अप्राप्त	परिशिष्ट-1 के अनुसार

फरवरी-मार्च, 2004 सत्र
नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग

स.क्र.	आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या, प्रश्न क्रमांक, दिनांक	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	समिति का अभिमत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
11.	33	ता.प्र.सं.08 (क्र.308) दि. 27.02.2004	नगर पंचायत नई गढ़ी जिला रीवा में क्रांकीट रोड की गुणवत्ता की जांच तथा दोषियों के विरूद्ध कार्रवाई।	गुणवत्ता की जांच करा लेंगे।	सड़कों की गुणवत्ता की जांच की कार्रवाई कार्यपालन यंत्री, नगरीय प्रशासन एवं विकास, रीवा द्वारा की गयी। उनकी अनुशंसा के अनुसार अंतिम देयकों का भुगतान किया गया। **विभागीय पत्र क्रमांक – 1274/2008/18-1, दिनांक 01.04.2008**	कोई टिप्पणी नहीं.
12.	36	ता.प्र.सं.23 दि. 27.02.2004	मुलताई नगर पालिका में दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों की मांगों का निराकरण तथा मजदूरी भुगतान में की गई अनियमितता की जांच।	1. उसमें हमने आदेशित किया है कि कलेक्टर इस पूरे मामले की जांच करके वास्तविकता से मुझे अवगत कराएं और इसके बाद आपको भी बुला लेंगे जो बातें आपको रखनी है उन्हें भी इसमें रख लेंगे। 2. आप जो कह रहे हैं मैं उसका परीक्षण करा दूंगा।	प्रकरण में संबंधित मुख्य नगर पालिका अधिकारी के विरूद्ध जांच प्रतिवेदन प्राप्त कार्यवाही जारी है। **विभागीय पत्र क्रमांक – 2537/10/18-1, दिनांक 06.07.2010** समिति ने विभागीय जानकारी के परिक्षणोपरांत इस सचिवालय के पत्र क्रमांक 20853/वि.स./आश्वा./10, दिनांक 21.10.2010, 19439/वि.स./आश्वा./ 2012, दिनांक 24.09.2012 एवं 14865/वि.स./आश्वा./ 2013, दिनांक 05.07.2013 द्वारा निम्नांकित अद्यतन जानकारी चाही :- ***जांच प्रतिवेदन पर की गई कार्यवाही की अद्यतन/पूर्ण जानकारी।*** लगातार पत्राचार के बावजूद आज दिनांक जानकारी अप्राप्त है।	परिशिष्ट - 1 के अनुसार.
13.	37	अता.प्र.सं.28 (क्र.334) दि. 27.02.2004	टीकमगढ़ जिले की नगर पालिकाओं/नगर पंचायतों की 2001-2002 की चुंगी क्षतिपूर्ति एवं यात्री कर की राशि का भुगतान।	वित्त विभाग से आवंटन प्राप्त होने पर पात्रतानुसार भेजी जाएगी।	प्रदेश की सभी नगरीय निकायों के साथ टीकमगढ़ जिले की निकायों को देय राशि (चुंगी क्षतिपूर्ति, यात्री कर) का भुगतान कर दिया गया है। कोई राशि शेष नहीं है। **विभागीय पत्र क्रमांक – 1334/2008/18-1, दिनांक 01.04.2008**	कोई टिप्पणी नहीं.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
14.	38	अता.प्र.सं.33 (क्र.373) दि. 27.02.2004	नगर पंचायत चौरई जिला छिन्दवाड़ा में आई.डी.एस.एम.टी. योजना हेतु प्राप्त राशि से कार्य पूर्ण कराया जाना।	यथाशीघ्र।	आई.डी.एस.एम.टी. योजना के अंतर्गत प्राप्त राशि 36.00 लाख से पूर्ण कार्य कर लिया गया है। वर्तमान आई.डी.एस.एम.टी. योजना समाप्त हो गयी है। **विभागीय पत्र क्रमांक –** **1041/2008/18-1, दिनांक 20.03.2008**	कोई टिप्पणी नहीं.
15.	39	ध्यानाकर्षण सूचना (क्र.22) दि. 05.03.2004	जिला हरदा की नगर पंचायत टिमरनी में निविदा जारी किये गये बिना विगत दो वर्षों में नगर पंचायत अधिकारी द्वारा की गई अनियमितताओं की जांच।	जांच प्रतिवेदन प्राप्त होने के उपरांत नियमानुसार परीक्षण कर कार्यवाही की जावेगी।	प्रकरण में अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। **विभागीय पत्र क्रमांक –** **2968/2008/18-1,दिनांक 24.06.2008** समिति द्वारा सतत् परीक्षण उपरांत अंत में इस सचिवालय के पत्र क्रमांक 19074/वि.स./आश्वा/2008, दिनांक 10.09.2008 से लगातार विभाग से अद्यतन जानकारी चाही गई थी। लगातार पत्राचार के बावजूद अद्यतन स्थिति की जानकारी अप्राप्त है।	परिशिष्ट-1 के अनुसार

फरवरी-मार्च, 2004 सत्र
राजस्व विभाग

स.क्र.	आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या, प्रश्न क्रमांक, दिनांक	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	समिति का अभिमत
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**	**(7)**
16.	40	ता.प्र.सं.01 (क्र.162) दि. 26.02.2004	इन्दिरा सागर परियोजना की हरसूद तहसील के डूब के अतिरिक्त बचे ग्रामों को खण्डवा तहसील में सम्मिलित किया जाना।	आपत्तियों पर सुझाव आदि आमंत्रित करेगा और उसके बाद उस पर विधायक जी की मन्सा के अनुसार क्रियान्वयन की प्रक्रिया होगी।	जिले की तहसील हरसूद के राजस्व निरीक्षक मण्डल, मण्डल किल्लोद के प.ह.न.-1, 3 एवं 18 से 20 और रा.नि.मं. हरसूद के प.ह.नं. 26 से 29 को अपवर्जित करते हुए नव गठित तहसील पुनासा में शामिल कर लिया गया है। **विभागीय पत्र क्रमांक –** **एफ 21-1/04/सात-6, दिनांक 30.04.2010**	कोई टिप्पणी नहीं.
17.	41	ता.प्र.सं.07 (क्र.263) दि. 26.02.2004	कृष्णा जिनिंग फैक्ट्री की शासकीय भूमि से अतिक्रमण हटाया जाकर कब्जा दिलाया जाना।	माननीय अध्यक्ष महोदय इसका हम परीक्षण करा लेंगे।	कृष्णा जीनिंग फैक्ट्री की शासकीय भूमि से अतिक्रमण हटाये जाने का प्रकरण अपर कलेक्टर न्यायालय में प्रचलित है। इसी विषय पर विधानसभा के फरवरी 2007 सत्र के आश्वासन क्रमांक 163 पर कार्यवाही की गई है। प्रकरण न्यायाधीन है। **विभागीय पत्र क्रमांक –** **21-1/04/सात-नजूल, दिनांक 10.12.2008** **अद्यतन जानकारी :-** *कलेक्टर जिला उज्जैन के पत्र क्र. 216/री.नजूल/2015 दिनांक 03.11.2015 से प्रेषित पत्र में उल्लेख किया गया है कि न्यायालयीन प्र.क्र.1/अ-39/2007-08 म.प्र. शासन द्वारा पटवारी ग्राम पाडल्या कलां तहसील नागदा विरूद्ध ओमप्रकाश ओझा आदि (कृष्णा जिनिंग फेक्ट्री) में दिनांक 30.05.14 को निर्णय पारित कर प्रश्नाधीन भूमि को शासन में वेष्ठित कर भूमि का कब्जा प्राप्त कर लिया गया है।* **विभागीय पत्र क्रमांक –** **एफ 4-47/वि.स.आ/प्र.रा.आ./2015/7746, दिनांक 21.12.2015**	कोई टिप्पणी नहीं.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
18.	42	ता.प्र.सं.05 (क्र.28) दि. 26.02.2004	जिला शहडोल जनपद पंचायत ब्यौहारी अंतर्गत अभिलेखों में हेरा-फेरी के संबंध में तहसीलदार और वरिष्ठ अधिकारियों के विरूद्ध कार्यवाही।	मान.विधायक जी ने जो प्रश्न किया है कि वरिष्ठ अधिकारी भी इसमें दोषी हो सकते हैं तो हम कलेक्टर से इस मामले की जांच करवा के एक सप्ताह में प्रतिवेदन मांग लेंगे उस प्रतिवेदन में जो दोषी पाया जायेगा उनके खिलाफ कार्यवाही की जावेगी।	विधान सभा प्रश्न के परिपेक्ष्य में जांच के दौरान श्री शरद चन्द्र चन्द्रवंशी तत्कालीन हल्का पटवारी को दोषी पाया गया तथा दोषी पटवारी को निलंबित किया जाकर विभागीय जांच की कार्यवाही की गई जिसमें एक वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से रोकी गयी है। श्री चन्द्रवंशी पटवारी के अतिरिक्त अन्य कोई कर्मचारी/अधिकारी दोषी नहीं पाया गया है। **विभागीय पत्र क्रमांक –** **एफ-1/आ./प्र.रा.आ/2015/5086, दिनांक 03.09.2015**	कोई टिप्पणी नहीं.
19.	44	ता.प्र.सं.11 (क्र.838) दि. 05.03.2004	रीवा जिले के मनगवां क्षेत्र को राज्य/केन्द्र शासन द्वारा वर्ष 2003-04 में अतिवृष्टि व बाढ़ प्रभावितों को तीनों सर्किल की वितरित राशि की जांच कराई जाना।	कोई गलती हुई है तो सख्त से सख्त कार्यवाही, चाहे कोई भी कर्मचारी हो उसके विरूद्ध की जावेगी।	विधान सभा क्षेत्र मनगवां में वर्ष 2003 में अतिवृष्टि एवं बाढ़ प्रभावितों को मुआवजा वितरण की जांच कराई गई। मनगवां, बैकुण्ठपुर एवं गुढ़ के दोषी राजस्व निरीक्षकों को निलंबित कर अन्य संबंधित पटवारियों के विरूद्ध कार्यवाही की जा रही है। **विभागीय पत्र क्रमांक –** **एफ 10-11/सात-3/2004, दिनांक 12.08.2004** समिति ने विभागीय जानकारी के परिक्षणोपरांत इस सचि.के पत्र क्र.16504/वि.स./आश्वा./09, दि.25.01.2005, 28541/वि.स./आश्वा./2005, दि.30.12.2005, 13172/वि.स./आश्वा./2007, दि.25.06.2007, 12871/वि.स./आश्वा./2008, दि.22.05.2008, 2512/वि.स./आश्वा./2009, दि.27.02.2009 द्वारा पूर्ण/अद्यतन जानकारी चाही गई थी। लगातार पत्राचार के बावजूद आज दिनांक तक जानकारी अप्राप्त है।	परिशिष्ट - 1 के अनुसार.
20.	45	ता.प्र.सं.16 (क्र.490) दि. 05.03.2004	शहडोल जिले की तहसील ब्यौहारी अंतर्गत ग्राम कुम्हिया के खसरा क्र. 432 के व्यवस्थापन की जांच।	यदि जांच में व्यवस्थापन गलत पाया गया तो नियमानुसार निरस्त किया जायेगा।	प्रकरण की जांच तहसीलदार ब्यौहारी से कराई गई। दखल रहित भूमि अधिनियम 1984 के तहत श्री बेसवार को 0.889 हे. भूमि के व्यवस्थापन की पात्रता होने के कारण पट्टा प्रदाय किया गया है। प्रश्नाधीन भूमि में किया गया व्यवस्थापन विधि संगत पाये जाने से यथावत रखा गया है। **विभागीय पत्र क्रमांक –** **एफ 20-128/2009/सात/2ए, दिनांक 07.02.2004**	कोई टिप्पणी नहीं.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
21.	47	ता.प्र.सं.15 (क्र.184) दि. 26.02.2004	बैतूल, हरदा एवं रायसेन जिलों में भूमिहीन दलितों को फारेस्ट लैंड पट्टे देने के संबंध में दिशा-निर्देश तथा जो भूमि उनको दी गई है, वह जीविकोपार्जन योग्य है या नहीं इसका परीक्षण किया जाना।	(1) उसका प्रस्ताव भारत सरकार को भेजकर उसकी अनुमति प्राप्त कर ली जावेगी। (2) इसके बारे में शासन स्तर पर परीक्षण कर लिया जायेगा और जितने भी किसानों को लाभ पहुंचाने का कार्य हो सकता है, शासन कर उसके बारे में कार्यवाही करेगा।	(1) अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के तहत काबिज कब्जेधारियों के जिला स्तरीय समिति द्वारा 2499 प्रकरण निराकृत किये जा चुके हैं, शेष प्रकरणों की प्रक्रिया गतिशील है। (2) जमीन मौके पर कास्त कर अतिक्रमण करने के आधार पर उक्त कार्यवाही प्रचलित है जो कि जीविकोपार्जन के योग्य है। (3) वर्तमान में रोजगार गारन्टी योजना के तहत कपिल धाराओं के कुएं, मेढ़ बंधान, फलदार वृक्षों के लिए नंदन फलोद्यान योजना प्रचलित है। इन योजनाओं के तहत हितग्राहियों द्वारा लाभ प्राप्त किया जा सकता है। **विभागीय पत्र क्रमांक –** **1613/1958/2009/सात/2ए, दिनांक 02.07.2010** समिति द्वारा सतत् परीक्षण उपरांत अंत में इस सचिवालय के पत्र क्रमांक 14870/वि.स./आश्वा/2013, दिनांक 05.07.2013 के द्वारा विभाग से अद्यतन जानकारी चाही गई थी। लगातार पत्राचार के बावजूद शेष प्रकरणों को निपटाने की अद्यतन स्थिति की जानकारी अप्राप्त है।	परिशिष्ट - 1 के अनुसार.
22.	71	ता.प्र.सं.09 (क्र.225) दि. 26.02.2004	जिला रायसेन तह. बरेली के अंतर्गत महवां-मेहगवां के आदिवासी किसानों को वन विभाग के अधिकारियों-कर्मचारियों द्वारा जबरिया कब्जा कर पेड़ लगाना तथा आदिवासियों को परेशान किया जाना।	हमने इस प्रकरण के लिये वन विभाग के और राजस्व विभाग के अधिकारियों की एक समूह संयुक्त टीम बना दी है वह मौके पर जाकर के सीमांकन करवा देंगे और मामले का निपटारा कर देगें।	वन मंडलाधिकारी के प्रतिवेदन अनुसार मलखू के प्रेषित आवेदन में खसरा क्र.-94/04रकबा 02 हैक्टेयर का पट्टा बताया गया है जबकि अभिलेख के अनुसार मलखू का पट्टा खसरा क्रमांक-96/08 में होना चाहिए था। श्री मलखू से लगातार दिलसुख बुलाखी अगल बगल में है। उसके नीचे मंशा गजरा है। यहीं से सी.पी.टी. खुदी है। जिसके बाहर पयाग, अलसान, खिंजोबाई व अन्य सभी पट्टेधारी एवं पात्र अतिक्रमणधारी मौके पर काबिज हैं। इस प्रकार आदिवासी किसानों को वन विभाग के अधिकारी/ कर्मचारियों द्वारा किसी प्रकार से परेशान नहीं किया जा रहा है। **विभागीय पत्र क्रमांक –** **एफ 20/5/2013/सात/2ए, दिनांक 22.08.2014**	कोई टिप्पणी नहीं.

फरवरी-मार्च, 2004 सत्र
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

स.क्र.	आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या, प्रश्न क्रमांक, दिनांक	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	समिति का अभिमत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
23.	50	ता.प्र.सं.20 (क्र.74) दि. 24.02.2004	विदिशा जिले में निर्माण कार्यों के लिए उपलब्ध कराई गई राशि में की गई अनियमितताओं की जांच।	योजनाओं के अंतर्गत निर्माण कार्यों के क्रियान्वयन में अनियमितताएं पाए जाने पर संबंधित के विरूद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।	(1) वर्ष 2002-03 में विदिशा जिले की जिला पंचायत विदिशा की कार्यवाहियों के संबंध में विदिशा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा की गई शिकायत की जांच के संबंध में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के आदेश दिनांक 21.10.2003 द्वारा संयुक्त विकास आयुक्त की अध्यक्षता में एक सदस्यीय जांच समिति का गठन किया गया। (2) जांच समिति द्वारा दिनांक 18.03.04 में प्रस्तुत जांच प्रतिवेदन में संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना एवं राजीव गांधी वाटरशेड मिशन योजनान्तर्गत कराए गए निर्माण कार्यों के क्रियान्वयन में डॉ. आर.के. द्विवेदी, तत्का. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत विदिशा प्रथम दृष्टया दोषी पाए जाने के फलस्वरूप उनके विरूद्ध दीर्घशास्ति हेतु विभागीय जांच संस्थापित करने हेतु सामान्य प्रशासन विभाग से अनुरोध करने का प्रशासकीय निर्णय लिया जाकर विभाग के अर्द्ध शासकीय पत्र दिनांक 03.07.04 द्वारा आरोप पत्र का प्रारूप संपूर्ण अभिलेख सहित सा.प्र.वि. को प्रेषित किए गए। (3) सा.प्र.वि. अपने पत्र दिनांक 08.11.04 द्वारा जांच प्रतिवेदन पर डॉ. आर.के. द्विवेदी, तत्का मु.का.पा. अधि.जि.पं. विदिशा का स्पष्टीकरण चाहा गया है। प्रकरण में कार्यवाही सा.प्र.वि. में प्रचलित है। **विभागीय पत्र क्रमांक –** **एफ 934/2005/22/वि-5/स्था, दिनांक 22.07.2005** समिति द्वारा सतत् परीक्षण उपरांत अंत में इस सचिवालय के पत्र क्रमांक 15000/वि.स./आश्वा/2007, दिनांक 16.07.2007 के द्वारा विभाग से अद्यतन जानकारी चाही गई थी। लगातार पत्राचार के बावजूद जांच प्रतिवेदन की कार्यवाही की अद्यतन जानकारी अप्राप्त है।	परिशिष्ट - 1 के अनुसार.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
24.	53	ता.प्र.सं.15 (क्र.579) दि. 03.03.2004	उज्जैन जिले में निर्माण कार्य में डबरिया बनाने में अनियमिततायें पाये जाने पर संबंधित सी.ई.ओ. के विरूद्ध कार्यवाही।	नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।	उज्जैन जिले में निर्माण कार्य में डबरिया बनाने में अनियमितता हेतु संबंधित सी.ई.ओ. डॉ. अर्जित तिवारी के विरूद्ध मध्यप्रदेश राज्य आर्थिक अन्वेषण ब्यूरो में अपराध क्र. 24/03 पंजीबद्ध होने तथा प्रकरण में माननीय न्यायालय उज्जैन में दिनांक 29.01.08 को अभियोग प्रस्तुत किये जाने से मध्यप्रदेश शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के आदेश क्र. 11490/2173/ 22/ वि-2/वि.जा./08 दिनांक 31.07.08 द्वारा निलंबित किया गया है एवं विभागीय जांच संस्थित की गई है। तत्कालीन मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत उज्जैन/घट्टिया/तराना की एक-एक वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव से आयुक्त उज्जैन संभाग, उज्जैन के द्वारा आदेश दिनांक 29.07.04 से रोकी गई है। **विभागीय पत्र क्रमांक – 5823/NREGS-MP/NR-11/विस/2010, दिनांक 07.06.2010** समिति द्वारा सतत् परीक्षण उपरांत अंत में इस सचिवालय के पत्र क्रमांक 15000/वि.स./आश्वा/2007, दिनांक 16.07.2007 के द्वारा विभाग से अद्यतन जानकारी चाही गई थी। लगातार पत्राचार के बाद भी डॉ. अजित तिवारी के विरूद्ध जांच की अद्यतन जानकारी अप्राप्त है।	परिशिष्ट - 1 के अनुसार.

फरवरी-मार्च, 2004 सत्र
ऊर्जा विभाग

स.क्र.	आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या, प्रश्न क्रमांक, दिनांक	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	समिति का अभिमत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
25.	58	ता.प्र.सं.18 (क्र.11) दि. 01.03.2004	(1) श्रीयुत कालेज द्वारा दस्तावेजों में हेरा-फेरी कर कम विद्युत भार बताकर बिजली चोरी के प्रकरण पर वास्तविक राशि वसूली की कार्यवाही। (2) रीवा जिले के गंगेव विकासखण्ड में बिजली चोरी के प्रकरण में लिप्त अधिकारियों/ कर्मचारियों के विरूद्ध कार्यवाही एवं नाम पदनाम की जानकारी।	(1) नियमानुसार राशि वसूली हेतु कार्यवाही की जावेगी। (2) वरिष्ठ अधिकारी द्वारा जांच की जा रही है जांचोपरांत नियमानुसार दोषी अधिकारी-कर्मचारी के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी।	(1) उपभोक्ता के बिजली चोरी प्रकरण पर सतर्कता विभाग द्वारा जारी देयक की राशि पर उपभोक्ता द्वारा ड्यूज सेटलमेंट कमेटी में अपील की गई है। अपील ड्यूज सेटलमेंट कमेटी के पास निर्णय हेतु विचाराधीन है। (2) विभागीय जांचोपरांत दोषी अधिकारी/कर्मचारी के विरूद्ध निम्नानुसार कार्यवाही की गई है :- (अ) श्री एस.पी. एस. तिवारी कार्यपालन यंत्री को अति सचिव, पूर्व क्षेत्र जबलपुर के आदेश क्र. 1693 दिनांक 03.01.05 द्वारा मण्डल से बर्खास्त (Dismissed) कर दिया गया है। (ब) अति सचिव, पूर्व क्षेत्र के आदेश क्र. 577 दि. 16.08.05, 579 दि. 16.08.05, 581 दि. 16.08.05 द्वारा क्रमश: सर्वश्री जी.एस. मिश्रा, अति अधीक्षण यंत्री, शरद श्रीवास्तव, सहायक यंत्री एस.के. तिवारी, कनिष्ठ यंत्री, एवं आर.बी. शर्मा, सहायक यंत्री की तीन वेतन वृद्धि संचयी प्रभाव से बंद कर दी गयी है एवं उक्त चारों अधिकारियों को रीवा जिला से अन्यत्र स्थानांतरित कर दिया गया है। **विभागीय पत्र क्रमांक –** **एफ-11/50/2004/B, दिनांक 06.07.2007**	कोई टिप्पणी नहीं.

फरवरी-मार्च, 2004 सत्र
सहकारिता विभाग

स.क्र.	आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या, प्रश्न क्रमांक, दिनांक	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	समिति का अभिमत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
26.	60	ता.प्र.सं.13 (क्र.267) दि. 26.02.2004	रीवा संभाग में प्राथमिक सेवा सहकारी समिति एवं लेम्पस संस्थाओं में अनियमितता की जांच तथा जिन संस्थाओं का निरीक्षण आडिट नहीं हुआ है, उनका आडिट कराया जाना।	उसमें सारी कार्यवाही की जाएगी और नियमों के अनुसार की जाएगी जो भी सहकारिता के नियम हैं उनके अनुसार की जावेगी । यदि उसमें आपराधिक प्रकरण होगा तो उसके खिलाफ प्राथमिकी की कार्रवाई भी की जावेगी, किसी को बख्शा नहीं जावेगा।	रीवा संभाग के रीवा, शहडोल व अनूपपुर जिले में वर्ष 2000-01, 2001-02 एवं वर्ष 2002-03 तक अंकेक्षण हेतु शेष सभी समितियों का अंकेक्षण पूर्ण कराया जा चुका है। रीवा संभाग के सभी जिलों में वर्ष 2000-01, 2001-02 एवं 2002-03 तक अंकेक्षण पूर्ण हो चुका है। सहकारी अधिनियम की धारा 58(बी) के अंतर्गत आर्थिक अनियमितता पाये जाने पर कार्यवाही की गई निराकरण उपरांत धारा 58(बी) के अंतर्गत चल रहे प्रकरणों की जिलेवार जानकारी निम्नानुसार है :- रीवा जिले में 3 प्रकरण विचाराधीन हैं। सतना जिले में 26 प्रकरण विचाराधीन हैं । शहडोल, उमरिया एवं अनुपपूर में कोई भी 58(बी) का प्रकरण शेष नहीं है। संभाग के किसी भी जिले में अंकेक्षण प्रतिवेदनों के आधार पर किसी भी संस्था में गबन धोखाधड़ी के तथ्य प्रकाश में न आने के कारण पुलिस में एफआईआर दर्ज कराने की कार्यवाही संस्था स्तर पर किया जाना नहीं पाया गया है। **विभागीय पत्र क्रमांक –** **50/3790/2008/15-1, दिनांक 14.01.2009** **विभाग द्वारा निम्नानुसार अतिरिक्त जानकारी भी उपलब्ध कराई गई :-** सीधी जिला अंतर्गत तत्समय पंजीकृत समस्त 93 प्राथमिक सेवा/लैम्पस समितियों का वर्ष 2000-01 से 2002-03 तक का अंकेक्षण पूर्ण कराया गया। उक्त अंकेक्षण में मात्र गिजवार समिति में मूल प्रश्न में उल्लेखित समयावधि अन्तर्गत वर्ष 2000-01 में श्री मित्रराम तिवारी (तत्कालीन समिति सेवक) के विरूद्ध	कोई टिप्पणी नहीं.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
					रूपये 9,26,894.89 की अनियमितता प्रकाश में आने पर अधिनियम की धारा 58 (बी) का प्रकरण संबंधित अंकेक्षण द्वारा तैयार कर प्रस्तुत किया गया था, जिसे प्रकरण क्रमांक 8 एवं 9/2004 में पंजीबद्ध कर सुनवाई में लिया जाकर दिनांक 27.06.2011 को राशि की ब्याज सहित वसूली हेतु आदेश पारित किया गया। दोषी सहायक समिति प्रबंधक पूर्व से ही संस्था से निष्कासित है। **विभागीय पत्र क्रमांक –** **373/2016/15-1, दिनांक 12.02.2016**	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
27.	64	ता.प्र.सं.09 (क्र.471) दि. 05.03.2004	दि मुरैना मण्डल सहकारी शक्कर कारखाना कैलारस लिमिटेड के किसानों का गन्ने की बकाया धन राशि का भुगतान किये जाने की अवधि।	(1) किसानों के पिछले वर्ष का भी और इस वर्ष का भी भुगतान करा दिया जायेगा। (2) इसी माह में भुगतान कर दिया जायेगा।	दि मुरैना मंडल शक्कर कारखाना कैलारस पर दि. 22.02.04 की स्थिति में वर्ष 2002-03 एवं वर्ष 03-04 का किसानों का गन्ना मूल्य क्रमश: राशि रू. 104.47 लाख एवं रू. 236.19 लाख शेष था। दि. 11.09.08 की स्थिति पर क्रय किये गये गन्ने के मूल्य में से बकाया मूल्य की स्थिति निम्नानुसार है :- वर्ष — बकाया राशि (लाखों में) 2002-03 — 0.30 2003-04 — 5.03 कारखाने द्वारा वर्ष 2003-04 का गन्ना मूल्य जो प्रथम घोषित एस.एम.पी. से देय था पूरा भुगतान कर दिया गया है उक्त शेष राशि भारत शासन द्वारा गन्ने के न्यूनतम वैधानिक मूल्य में वृद्धि किये जाने के कारण एरियर्स की राशि रू. 5.03 लाख है। कारखाने द्वारा शेष राशि के भुगतान के पूर्ण प्रबंध किये गये हैं। समाचार पत्र में विज्ञापन देकर भी सूचित किया गया है। बार-बार सूचित करने के बाद भी कृषक भुगतान लेने हेतु नहीं आ रहे हैं। **विभागीय पत्र क्रमांक –** **एफ 10-20/04/15-1, दिनांक 21.01.2009** समिति द्वारा सतत् परीक्षण उपरांत अंत में इस सचिवालय के पत्र क्रमांक 19673/वि.स./आश्वा/2010, दिनांक 29.09.2010 के द्वारा विभाग से अद्यतन जानकारी चाही गई थी। लगातार पत्राचार के बावजूद किन-किन कृषकों का भुगतान शेष है, अद्यतन स्थिति की जानकारी अप्राप्त है। विधानसभा सभा सचिवालय के पत्र दिनांक 06.12.2012 द्वारा निम्न बिन्दुओं पर जानकारी चाही गयी है :- **किसानों के भुगतान हेतु न आने का क्या कारण है ? किसानों को भुगतान हेतु क्या-क्या प्रयास किये गये संबंधित अधिकारियों ने किसानों को नोटिस दिया अथवा नहीं, विज्ञापन कौन से पेपर में दिये गये, किन कृषकों का भुगतान शेष है ? उनकी सूची प्रस्तुत करें।** इस सचिवालय द्वारा की गई पृच्छा के तारतम्य में	परिशिष्ट-1 के अनुसार

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
					विभाग द्वारा निम्नांकित जानकारी उपलब्ध कराई गई :- आश्वासन अवधि मार्च 2004 पर कृषकों की निम्नानुसार गन्ना मूल्य भुगतान की राशि शेष थी :- वर्ष बकाया राशि (लाखों में) 2002-03 0.30 2003-04 5.03 उक्त राशि के भुगतान हेतु कारखाने के मैदानी स्टाफ ने कृषकों से व्यक्तिगत संपकर्क कर सूचना दी गई । विज्ञापन दैनिक भास्कर समाचार पत्र ग्वालियर में दिनांक 25.03.2008 के अंक में सूचना दी गई। प्रति कृषक राशि बहुत कम है वर्ष 2004-05 की राशि केन्द्र सरकार द्वारा सीजन समाप्ति के पश्चात माह दिसंबर 2004 में एस.एम.पी. को संशोधित करने के कारण शेष राशि एरियर्स की है। **विभागीय पत्र क्रमांक –** **345/2016/15-1, दिनांक 12.02.2016**	
28.	65	अता.प्र.सं.56 (क्र.832) दि. 05.03.2004	मंदाकिनी गृह निर्माण सहकारी समिति भोपाल द्वारा समिति को आवंटित भूमि का विकास कार्य पूर्ण कराने की अवधि।	1. संस्था के सदस्यों से जैसे-जैसे विकास राशि प्राप्त होती है, विकास कार्य पूर्ण करा लिया जायेगा। 2. परीक्षण कर नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।	संस्था 53(1) के अंतर्गत अधिक्रमित है संस्था का रिकार्ड न मिलने से जानकारी दी जाना संभव नहीं है। संस्था के अभिलेखों की जप्ती हेतु म.प्र. सहकारी अधिनियम 1960 की धारा 57(1) के अंतर्गत जप्ती अधिकारी नियुक्त किया गया था। अभिलेख जप्त न होने से सर्च हेतु एस.डी.एम. भोपाल को कार्यालयीन पत्र क्रमांक 2471 दिनांक 19.07.05 के द्वारा लिखा जा चुका है। **विभागीय पत्र क्रमांक –** **एफ 10-15/2004/पन्द्रह-1, दिनांक 15.09.2005** समिति द्वारा सतत् परीक्षण उपरांत अंत में इस सचिवालय के पत्र क्रमांक 19673/वि.स./आश्वा/2010, दिनांक 29.09.2010 के द्वारा विभाग से अद्यतन जानकारी चाही गई थी। लगातार पत्राचार के बावजूद अभिलेख जप्त न होने के कारणों की जानकारी अद्यतन स्थिति की जानकारी अप्राप्त है।	परिशिष्ट-1 के अनुसार

फरवरी-मार्च, 2004 सत्र
जल संसाधन विभाग

स.क्र.	आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या, प्रश्न क्रमांक, दिनांक	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	समिति का अभिमत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
29.	66	ता.प्र.सं.04 (क्र.4) दि. 24.02.2004	रीवा जिले में नंदनीपुर एवं बीहर नदी पर अपूर्ण उद्वहन सिंचाई योजनाओं को पूर्ण किये जाने हेतु विभाग द्वारा की गई कार्यवाही।	उक्त दोनों योजनाओं के प्रस्ताव नाबार्ड सहायता प्राप्त करने की प्रक्रिया में है, नाबार्ड स्वीकृति पश्चात आगे की कार्यवाही की जावेगी।	बीहर एवं नंदनीपुर उद्वहन सिंचाई योजनाओं का कमाण्ड क्षेत्र बाणसागर परियोजना के कमाण्ड क्षेत्र में आने के कारण इन उद्वहन सिंचाई योजनाओं का निर्माण कराया जाना उचित नहीं है। **विभागीय पत्र क्रमांक – एफ 21/34/04/लघु/31/1694, दिनांक 21.10.2011**	कोई टिप्पणी नहीं.
30.	67	ता.प्र.सं.15 (क्र.31) दि. 24.02.2004	बैतूल जिले में लंबित सिंचाई योजनाओं को पूर्ण किया जाना।	जी हां, बांध के उपचारी कार्य का प्राक्कलन स्वीकृति हेतु बोधी कार्यालय में परीक्षणाधीन है, स्वीकृति प्राप्त होने के उपरांत एवं सेफटी फण्ड से आवंटन प्राप्त होने पर कार्य लगभग एक वर्ष में पूर्ण किया जा सकेगा।	चंदौरा जलाशय का सुधार कार्य दिनांक 20.07.2011 को पूर्ण किया जा चुका है। **विभागीय पत्र क्रमांक – 21/लघु/31/35/2004(874), दिनांक 22.10.2014**	कोई टिप्पणी नहीं.

फरवरी-मार्च, 2004 सत्र
उच्च शिक्षा विभाग

स.क्र.	आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या, प्रश्न क्रमांक, दिनांक	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	समिति का अभिमत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
31.	76	ता.प्र.सं.08 (क्र.08) दि. 04.03.2004	जिला छिन्दवाड़ा अंतर्गत शासकीय विज्ञान महाविद्यालय पांढुर्णा के भवन का निर्माण किया जाना।	जैसे ही फण्ड की व्यवस्था होगी इस पर खर्च करेगें।	कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग छिन्दवाड़ा द्वारा द्वितीय ठेकेदार श्री एल.के. घरडे की रिस्क एवं कास्ट पर तृतीय ठेकेदार श्री संदीप दाढ़े द्वारा पांढुर्णा को कार्यादेश दिया गया है। श्री दाढ़े द्वारा माह जुलाई 11 से भूतल की फिनिशिंग व पुताई, फर्श की घिंसाई एवं प्रथम तल में उत्तरी एवं दक्षिणी विंग के कमरे स्लेब दरवाजे, खिड़की एवं बिजली की फिटिंग की जा चुकी है। भवन का आंतरिक कार्य पूर्ण हो गया है। भवन के भूतल एवं प्रथम तल की उत्तरी एवं दक्षिणी विंग का कार्य पूर्ण हो गया है। दिनांक 19.03.12 को माननीय गौरीशंकर जी बिसेन, प्रभारी मंत्री के द्वारा उक्त भवन का लोकार्पण किया जाकर वर्तमान में महाविद्यालय के इस नये भवन में एम.एस.सी.,एम.ए.,एम.कॉम., बी.एस.सी., बी.ए., बी.कॉम कक्षायें लग रही हैं। **विभागीय पत्र क्रमांक –** **एफ 13-7/2004/38-2, दिनांक 16.01.2013**	कोई टिप्पणी नहीं.

फरवरी-मार्च, 2004 सत्र
वाणिज्यिक कर विभाग

स.क्र.	आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या, प्रश्न क्रमांक, दिनांक	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	समिति का अभिमत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
32.	78	ता.प्र.सं.12 (क्र.288) दि. 01.03.2004	बानमोर (मुरैना) में सीमेंट फैक्ट्री की जमीन कम कीमत पर विक्रय करने वाले दोषी अधिकारियों के विरूद्ध कार्यवाही।	जी हां, जांच में दोषी पाये जाने पर संबंधित के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।	मुरैना सीमेंट फैक्ट्री की जमीन का कम कीमत पर विक्रय करने वाले दोषी अधिकारी तत्कालीन जिला पंजीयक श्री आर.के.पचौरी वर्ष तत्कालीन, उप पंजीयक श्री लखनलाल जाटव को दिनांक 17.01.2003 को निलंबित किया जाकर उनके विरूद्ध दिनांक 24.06.2004 को विभागीय जांच संस्थित की गई है। **विभागीय पत्र क्रमांक -** **बी-15-5/2004/वाकर/5, दिनांक 01.09.2004** समिति ने विभागीय जानकारी के परीक्षणोपरांत इस सचिवालय के पत्र क्रमांक 18891/वि.स./आश्वा./2005, दिनांक 09.08.2005, 14999/वि.स./आश्वा./2007, दिनांक 16.07.2007, 13638/वि.स./आश्वा./2008, दिनांक 06.06.2008 द्वारा पूर्ण/अद्यतन जानकारी चाही गई। **तदनुसार विभाग द्वारा निम्नांकित अद्यतन जानकारी प्रेषित की गई :-** बानमोर(मुरैना) में सीमेंट फैक्ट्री की जमीन का कम कीमत पर दस्तावेज पंजीबद्ध करने वाले दोषी अधिकारी तत्कालीन जिला पंजीयक श्री आर.के. पचौरी एवं तत्कालीन उप पंजीयक श्री लखनलाल जाटव को दिनांक 17.12.2003 को निलंबित किया जाकर उनके विरूद्ध दिनांक 24.06.2004 को विभागीय जांच संस्थित की गई थी। श्री आर.के पचौरी, जिला पंजीयक के विरूद्ध विभागीय जांच के आरोप प्रमाणित न पाए जाने से महानिरीक्षक पंजीयन के आदेश क्र. 13/चार-जांच/जि.प./06 दिनांक 20.04.2006 द्वारा प्रकरण समाप्त किया गया है।	परिशिष्ट - 1 के अनुसार.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
					श्री लखनलाल जाटव उप पंजीयक के विरूद्ध विभागीय जांच की कार्यवाही प्रचलित है। **विभागीय पत्र क्रमांक –** **एफ-बी-15-5/2004/2/पांच, दिनांक 30.07.2008** लगातार पत्राचार के बावजूद आज दिनांक तक अप्राप्त है।	

फरवरी-मार्च, 2004 सत्र
महिला एवं बाल विकास विभाग

स.क्र.	आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या, प्रश्न क्रमांक, दिनांक	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	समिति का अभिमत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
33.	80	ध्यानाकर्षण सूचना (क्र.112) दि. 26.02.2004	रीवा जिले के आंगनबाड़ी केन्द्रों के छात्रों को दलिया वितरण हेतु आवंटित गेहूँ की बाजार में बिक्री किये जाने की शिकायत पर कार्यवाही।	(1) मान. विधायक जी ने शिकायत की है उसकी अतिशीघ्र जांच करवाकर जो दोषी पाये जायेंगे उनके खिलाफ कार्यवाही की जायेगी। (2) जी, अध्यक्ष महोदय मैं इससे सहमत हूँ। हम रीवा के बाहर से अधिकारी भेजकर और कमेटी बनाकर जांच करालेंगे।	प्रकरण में रीवा से बाहर के अधिकारियों से जांच कराई गई। संबंधित जिला कार्यक्रम अधिकारी रीवा पर प्रथम दृष्टया आरोप सिद्ध पाये जाने पर उनके विरूद्ध विभागीय जांच संस्थित कर आरोप पत्रादि जारी किये गये। संबंधित जिला कार्यक्रम अधिकारी द्वारा प्रस्तुत आरोप पत्र के उत्तर एवं संबंधित अभिलेख तथा इस पर संचालक की टीप के परिशीलन में इनके विरूद्ध कोई आरोप प्रमाणित नहीं पाये जाने से आदेश क्रमांक एफ 2-1/2004/50-1, दिनांक 20.02.08 के द्वारा इन्हें भविष्य में सतर्कतापूर्वक कार्य करने हेतु सचेत करते हुए प्रकरण समाप्त किया गया है। **विभागीय पत्र क्रमांक –** **एफ 5-11/2006/50-1, दिनांक 03.05.2008**	कोई टिप्पणी नहीं.
34.	81	ता.प्र.सं.02 (क्र.760) दि. 04.03.2004	शासन सचिवालय एवं अन्य सचिवालयों द्वारा वर्ष 1990 से 2003 तक की गई अवधि में रीवा संभाग में प्रतिनियुक्ति पर लिये गये अधिकारी/कर्मचारियों की अनियमितता की जांच कराया जाना।	1. यथाशीघ्र। 2. रीवा से बाहर के अधिकारियों से जांच करवायेंगे।	रीवा से बाहर के अधिकारियों से शिकायत की जांच कराई गई। संबंधित जिला कार्यक्रम अधिकारी रीवा पर प्रथम दृष्टया आरोप सिद्ध पाये जाने पर उनके विरूद्ध विभागीय जांच संस्थित कर आरोप पत्रादि जारी किये गये। संबंधित जिला कार्यक्रम अधिकारी द्वारा प्रस्तुत आरोप पत्र के उत्तर एवं संबंधित अभिलेख तथा इस पर संचालक की टीप के परिशीलन में इनके विरूद्ध कोई आरोप प्रमाणित नहीं पाये जाने से आदेश क्रमांक एफ 2-1/2004/50-1, दिनांक 20.02.08 के द्वारा इन्हें भविष्य में सतर्कतापूर्वक कार्य करने हेतु सचेत करते हुए प्रकरण समाप्त किया गया है। **विभागीय पत्र क्रमांक –** **एफ 5-11/2006/50-1, दिनांक 03.05.2008**	कोई टिप्पणी नहीं.

फरवरी-मार्च, 2004 सत्र
खनिज साधन विभाग

स.क्र.	आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या, प्रश्न क्रमांक, दिनांक	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	समिति का अभिमत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
35.	86	ता.प्र.सं.13 (क्र.519) दि. 05.03.2004	बालाघाट जिले के लॉजी विकास खण्ड के अंतर्गत ग्राम पंचायत परसोड़ी के सरपंच द्वारा वर्ष 2001 से लेकर 2004 तक की अवधि में रेत उत्खनन की रायल्टी में की गयी अनियमितता की शिकायत की जांच।	सरपंच के खिलाफ कार्यवाही प्रचलित है कलेक्टर उसमें सक्षम है। कार्यवाही के लिये कलेक्टर को निर्देशित किया गया है।	अनुविभागीय अधिकारी (रा.) लॉजी के न्यायालय के रा.प्र.क्र.59अ/89 वर्ष 2003-04 सरपंच ग्राम पंचायत परसोड़ी के विरूद्ध प्रकरण दर्ज कर सरपंच को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया एवं पंचायत निरीक्षक लॉजी से जांच कराई गई । पंचायत निरीक्षक के जवाब/प्रतिवेदन के आधार पर कोई अनियमितता नहीं पाई गई । जिससे दि. 22.07.04 को प्रकरण खारिज किया गया। **विभागीय पत्र क्रमांक – एफ-16-03/2004/11/5, दिनांक 12.08.2005**	कोई टिप्पणी नहीं.

स्थान :- भोपाल
दिनांक :- 17 मार्च, 2016

राजेन्द्र पाण्डेय
सभापति
शासकीय आश्वासनों संबंधी समिति

:: परिशिष्ट - 1 ::

विशेष टिप्पणी/अनुशंसा

फरवरी-मार्च, 2004 सत्र के आश्वासनों पर आधारित इस प्रतिवेदन में 14 विभागों के 35 आश्वासन सम्मिलित है, जिनमें से अधिकांश आश्वासनों की पूर्ति विभागों द्वारा भी की गई है, किन्तु समिति द्वारा किये गये परीक्षणों से यह स्थिति सामने आई है कि लगभग 12 वर्ष से अधिक की समयावधि व्यतीत हो जाने के बावजूद 07 विभागों के परिशिष्ट - 2 में दर्शित 13 मामलों में विभागों की ओर से पूर्ण जानकारी प्राप्त नहीं हुई । लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग से संबंधित आश्वासन क्रमांक 31 के संबंध में विभाग द्वारा प्रारंभिक जानकारी तक उपलब्ध नहीं कराई गई । समिति यह जानकर आश्चर्यचकित है कि लगभग ये सभी मामले पद के दुरूपयोग/शासकीय नियमों का उल्लंघन/आर्थिक अनियमितताएं तथा भ्रष्टाचरण से संबंधित हैं । जिन पर समय रहते विभागों को कार्रवाई करना थी । मामलों पर विभागीय उदासीनता को देखते हुए यह स्पष्ट है कि दोषियों को बचाने की दृष्टि से ही यह सोची समझी उदासीनता बरती गई है । फलस्वरूप कतिपय दोषी अधिकारी/कर्मचारी सेवानिवृत्त हो चुके हैं और कुछ की मृत्यु भी हो चुकी है । मामलों में समय निकालकर दोषियों को बचाने का यह उपक्रम निश्चित ही निंदनीय है और ऐसे दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की अपेक्षा भी है ।

सदन में माननीय सदस्यों द्वारा प्रस्तुत मामलों पर माननीय मंत्रियों द्वारा दिये गये आश्वासनों पर कार्रवाई न होने से शासन के साथ-साथ जन सामान्य को भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपरिमित हानि होती है और जनता में गलत संदेश भी जाता है । समिति की दृष्टि में ऐसी प्रवृत्ति निश्चित रूप से आपराधिक होकर दण्डनीय है एवं प्रशासनिक दृष्टि से भी ऐसी प्रवृत्ति के शमन हेतु अत्यधिक गंभीरता से कार्रवाई करने की आवश्यकता है । समिति का मानना है कि विलंब से किया गया न्याय, अन्याय से भी बढ़कर होता है ।

विभागीय जांच की प्रक्रिया तथा निश्चित समयावधि में उसके निराकरण के संबंध में शासन के स्पष्ट दिशा-निर्देश हैं इसके बावजूद प्रशासनिक व्यवस्था की यह गंभीर त्रुटि है कि ऐसे लंबित मामलों की समीक्षा की कोई सतत् व्यवस्था विभागों द्वारा तय नहीं की गई है । इस वजह से मामले वर्षो तक लंबित रहते हैं और दोषी दण्डित नहीं हो पाते । इससे सामान्य रूप में यह संदेश जाता है कि व्यवस्था को सुविधानुसार अपने अनुकूल किया जा सकता है, इस वजह से विभागीय अधिकारियों/कर्मचारियों में दोषियों को बचाने की आपराधिक प्रवृत्ति में निरन्तर वृद्धि होती रहती है ।

समिति की यह मंशा है कि विभागों में ऐसे मामलों के, शासन के दिशा-निर्देशों के अनुरूप निश्चित समयावधि में, निराकरण हेतु पृथक् रूप से प्रकोष्ठ बनाये जाएं, जिनकी समीक्षा विभागाध्यक्ष स्तर पर प्रति माह हो ताकि दोषियों को तय समयावधि में दण्डित किया जा सके एवं निर्दोष के स्वत्वों की भी रक्षा हो सके ।

इसके साथ ही समिति अनुशंसा करती है कि परिशिष्ट में दर्शित विभागीय जांच, वसूली तथा उत्तर अप्राप्त आदि के गंभीर मामलों का निराकरण अधिकतम तीन माह में करके समिति को सूचित किया जाए ।

समिति की यह भी अनुशंसा है कि मामलों में विलंब के दोषी भी अवश्य दण्डित हों ।

:: परिशिष्ट - 2 ::

जांच के अनिर्णीत प्रकरण

स्कूल शिक्षा विभाग

आश्वासन क्रमांक	07
आश्वासन क्रमांक	09

गृह(पुलिस) विभाग

आश्वासन क्रमांक	26
आश्वासन क्रमांक	28

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग

आश्वासन क्रमांक	36
आश्वासन क्रमांक	39

राजस्व विभाग

आश्वासन क्रमांक	44
आश्वासन क्रमांक	47

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

आश्वासन क्रमांक	50
आश्वासन क्रमांक	53

सहकारिता विभाग

आश्वासन क्रमांक	64
आश्वासन क्रमांक	65

वाणिज्यिक कर विभाग

आश्वासन क्रमांक	78

:: परिशिष्ट - 3 ::

फरवरी-मार्च, 2004 सत्र के पूर्व प्रतिवेदनों में सम्मिलित आश्वासनों की सूची

क्रमांक	आश्वा.क्रं.	विभाग का नाम	प्रकरण की स्थिति	विधान सभा अवधि
1.	01	स्कूल शिक्षा	चतुर्थ प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
2.	04	"	सोलहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
3.	05	"	सोलहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
4.	06	"	चतुर्थ प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
5.	08	"	सोलहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
6.	11	कृषि विभाग	चतुर्थ प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
7.	12	"	चतुर्थ प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
8.	13	"	एकादश प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
9.	14	"	चतुर्थ प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
10.	16	"	चतुर्थ प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
11.	17	"	चतुर्थ प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
12.	18	"	चतुर्थ प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
13.	19	"	तेरहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
14.	20	लोक निर्माण	चतुर्थ प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
15.	21	"	चतुर्थ प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
16.	22	"	ग्यारहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
17.	23	"	चतुर्थ प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
18.	85	"	चतुर्थ प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
19.	24	गृह पुलिस	ग्यारहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
20.	25	"	ग्यारहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
21.	27	"	सोलहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
22.	29	लोक स्वा. एवं परि. कल्याण	चौबीसवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
23.	32	नगरीय प्रशासन एवं विकास	चतुर्थ प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
24.	34	"	चतुर्थ प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
25.	35	"	बीसवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
26.	43	राजस्व विभाग	चतुर्थ प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
27.	46	"	चतुर्थ प्रतिवेदन	द्वादश विधान सभा
28.	48	"	चतुर्थ प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
29.	49	"	ग्यारहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
30.	51	"	ग्यारहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
31.	52	"	सोलहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
32.	54	आदिम जाति कल्याण	ग्यारहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
33.	55	"	सोलहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
34.	57	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	ग्यारहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
35.	58	"	बीसवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
36.	59	सहकारिता	ग्यारहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
37.	61	"	चतुर्थ प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
38.	62	"	चतुर्थ प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
39.	63	"	ग्यारहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
40.	68	जल संसाधन	सोलहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
41.	69	"	ग्यारहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
42.	70	"	ग्यारहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
43.	72	सामान्य प्रशासन	ग्यारहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
44.	73	उच्च शिक्षा	चतुर्थ प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
45.	74	"	चतुर्थ प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
46.	75	"	चतुर्थ प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
47.	77	"	चतुर्थ प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
48.	79	वाणिज्यिक कर	बीसवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा

49.	82	मछली पालन	बीसवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
50.	83	"	चतुर्थ प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
51.	84	सूचना प्रौद्योगिकी	ग्यारहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा